न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 66/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कुरड़ाराम पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 दीपा देवी पत्नी परमेश्वरलाल जाति जाट निवासी ग्राम दीनारपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 रामकुमार पुत्र जीवण।
3 सुल्तान पुत्र जीवण।
4 गणेश पुत्र जीवण।
5 लक्ष्मी देवी पत्नी हणमान।
6 मंशाराम पुत्र हणमान।
7 सुमित्रा पुत्री हणमान।
8 शिशपाल पुत्र जालू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी

9 परतुराम पुत्र जालू।
10 रूपाराम पुत्र जालू समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11 पटवारी पटवार हल्का बिरांणिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
12 उपपंजीयक महोदय फतेहपुर जिला सीकर।
13 तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर।
14 मैनेजर कैनरा बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर।
15 श्रीमती संगीता पत्नी मुकेश कुमार।
16 श्रीमती मंजू देवी पत्नी राकेश कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दीनारपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर दावा संख्या 67/2016 उनवानी दीपा देवी बनाम कुरडाराम वगैराह दिनांक 08.06.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री सोहन लाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—12.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा वाद संख्या 67/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 14 के विरूद्व अपीलाधीन वाद बाबत उदघोषणा, खाता दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा निमित दिनांक 23.09.2016 को पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अपीलांट की तामील होने पर वह दिनांक 03.03.2017 को जरिए वकील श्री दिनेश शर्मा हाजिर अदालत हो गया और दिनांक 31.05.2017 को अपीलांट ने जवाब दावा पेश किया, जिसे दिनांक 02.06.2017 को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी आगामी पेशी निर्धारित कर दी गई। दिनांक 20.12.2017 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी की और से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया गया, पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 07.02.2018 को पी0ओ0 साहब अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आगामी पेशी दिनांक 07.03.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 07.03.2018 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र व तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 18.04.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 18.04.2018 का अवकाश होने के कारण पत्रावली दिनांक 20.04.2018 को पेशी में ली जाकर दिनांक 20.04.2018 को पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक 08.06.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 08.06.2018 को बिना अपीलांट को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट बिरानियां में ले जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनकर एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में वाद रेस्पोडेंट दीपा देवी की और से प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय में प्रकरण जवाब दावे में एवं जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में नियत था आगामी पेशी 30.06.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकिया की पालना किये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर वादी की एकतरफा बहस सुनकर उसी दिन वाद वादी डिक्री कर दिया कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है जिसके कोई नोटिस नही दिये गये है। जवाब दावे प्राप्त नही किये गये, प्रतिवादीगण की तामिल नही करवाई गई है, प्राप्त जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम नही की गई है, आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र लम्बित रहते हुये निर्णय कर दिया विचारण न्यायालय का यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय भारतीय संविधान एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के सर्वथा विपरित होने एवं मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन डिक्री न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान जारी की गई है 2015 में 1 मई से 31 मई 2015 तक अदालती कार्यवाही कैम्प कोर्टस में होगी यह माननीय राजस्व मण्डल का आदेश था ताकि वाद पत्र को निर्णित करने की जटिल प्रकिया से बचा जा सकें। विवादित भूमि में भानाराम का 1/2 होना कोई विवादित नही है। अपितु अकेले कुरडा के नाम दर्ज हुई यह विवाद है नामान्तकरण की प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिंग है लिखित कथन पेश होने के बाद न्यायालय तय करता है कि तनकियात कायम होनी चाहिए या नही। कानूनी बिन्दु होने पर बिना किसी साक्ष्य के डिक्री दी जा सकती है लिखित कथन में बिन्दु संख्या 17 में यह स्वीकार किया गया है कि वादीया की शादी 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है इसलिए कोई हक नही रहा जहां विधिक स्थिति स्पष्ट होती है उस दावे में साक्ष्य की आवश्यकता नही है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीया को हिस्सा मिलेगा लिगल सर्विस अथोरिटी एक्ट 1987 के अन्तर्गत लोक अदालतों का गठन किया गया है न्याय आपके द्वार अभियान तवरित न्याय के लिए बनाया गया है इसके लिए अलग से कोई कानून नही बनाया गया है। लिगल सर्विस अथोरिटी एक्ट 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत के निर्णय की अपील नही हो सकती है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेंट ने आर.आर.टी. 2012(2) पेज 850, ए.आई.आर. 2018(एससी) पेज 721 ए.आई.आर. 2012(एस.सी.) पेज 1728 (डी), लिगल सर्विसेज एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(लोकअदालत विधि) धारा 21 प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अवलोकन एवं मनन किया विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 23.09.2016 को पेश होकर पंजीबद्व किया गया है एवं प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश दिये गये है दिनांक 19.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 से 8 व 10 की और से श्री राजेश गोस्वामी एडवोकेट, राकेश रेवाड़ एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब दावा नियम की गई दिनांक 20.02.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की और से जवाब दावा पेश किया गया पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब दावा नियत की गई 3.3.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनेश शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब दावा व तलबी नियत की गई। दिनांक 02.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से जवाब दावा पेश किया गया पत्रावली वास्ते जवाब दावा तलबी नियत की गई दिनांक 20.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 9 की और से विकास कुमार ने वकालत नामा पेश किया एवं वादी के अधिवक्ता ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब दावा, जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.06.18 को कैम्प बिरानियां में वादी की एकतरफा बहस सुनकर वाद वादी डिक्री किया है। राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सिविल प्रकिया संहिता तीनों में कही भी ऐसा प्रावधान नही है कि पत्रावली आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के जवाब, प्रतिवादीगण के जवाब दावे पेश करने के लिए नियत हो और न्यायालय केवल मात्र वादी की एकतरफा बहस सुनकर वाद वादी डिक्री कर देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण लोक अदालत की भावना से एवं उभयपक्ष की सहमती से निर्णित नही किया गया है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट के तर्क स्वीकार योग्य नही है विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखने की सूचना अपीलांटस को दी हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरित एवं मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर वाद कथन व जवाब के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देंवें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर